



राजस्थान सरकार  
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर  
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan  
Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>  
e-mail: [jdpi.cce@gmail.com](mailto:jdpi.cce@gmail.com) Ph.: 0141-2706736 (O);

क्रमांक एफ 4 ( ) आकाशि/नि.सं./2020 / 328

दिनांक 10.2.2021

सचिव/ प्राचार्य  
निजी महाविद्यालय  
राजस्थान


विषय:- पूर्व संचालित महाविद्यालयों के सत्र 2017-18 से 2019-20 तक के अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु लंबित प्रकरणों के 05.04.2021 तक निस्तारण बाबत।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सत्र 2017-18 से 2019-20 तक के अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु लंबित जिन पूर्व संचालित महाविद्यालयों को निर्धारित मापदंड पूर्ण नहीं करने के कारण अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया था, उन महाविद्यालयों को समय-समय पर कमीपूर्ति/शास्ति के अवसर दिये जा चुके हैं। महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उक्त प्रकरणों के निस्तारण की अन्तिम दिनांक 05.04.2021 निर्धारित करते हुए संस्था को **कमीपूर्ति अथवा नियमानुसार शास्ति राशि** जमा करवाने का **एक और अंतिम अवसर** प्रदान किया जाता है।

सत्र 2017-18 से लम्बित NOC प्रकरण में संस्था को, कमीपूर्ति के अभाव में सत्र 2017-18 से सत्र 2019-20 तक तीन सत्रों हेतु नियमानुसार प्रत्येक सत्र हेतु निर्धारित शास्ति राशि जमा करवानी होगी।

सत्र 2018-19 से लम्बित NOC प्रकरण में संस्था को, कमीपूर्ति के अभाव में सत्र 2018-19 से सत्र 2019-20 तक दो सत्रों हेतु नियमानुसार प्रत्येक सत्र हेतु निर्धारित शास्ति राशि जमा करवानी होगी।

महाविद्यालय कमीपूर्ति के समस्त दस्तावेज आवश्यक रूप से नोडल अधिकारी से प्रमाणित करवाकर ही आयुक्तालय को प्रस्तुत करें। उक्त तिथि पश्चात आदेश की पालना नहीं करने वाले महाविद्यालयों का अनापत्ति प्रमाण पत्र **सत्र 2020-21 से क्रमिक रूप से निरस्त कर दिया जावेगा**। प्रकरण का निस्तारण होने तक महाविद्यालय में नवीन प्रवेश बाधित रहेंगे। **क्रमिक निरस्तीकरण की स्थिति में भी संचालित सत्रों हेतु नियमानुसार शास्ति राशि देय होगी**।

  
(संदेश नायक, IAS)

आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. रजिस्ट्रार, समस्त सम्बद्धक विश्वविद्यालय, राजस्थान।
2. प्राचार्य, नोडल राजकीय महाविद्यालय को भेजकर लेख है कि आपको आवंटित तहसील में अवस्थित निजी महाविद्यालयों द्वारा सत्र 2017-18 से 2019-20 के लम्बित प्रकरणों से सम्बन्धित दस्तावेजों को प्राथमिकता से प्रमाणित कर **हार्ड कॉपी विभागीय आदेश क्रमांक 303 दिनांक 25.11.2020 के अनुसार संस्था के माध्यम से प्रेषित करावें**।
3. वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
4. रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त निदेशक (नि. सं.)